


दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डियन जज

सम्बर ३३३३३
उत्तरकाय जो उत्तर
हुक्म भी सम्बन्धित
ये जारी हुए


18/1/25

पञ्चावली पेडा इई) वादी आदि-उप.) वादी द्वारा
आदिम नदस क्रिजे वादे हेतु समज गहा गणा
अममप दिजा वाकर पञ्चावली वादी आदिम नदस
हेतु दिनांक 19/1/25 की पेडा हो।


12/1/25

19/1/25

पञ्चावली पेडा इई) वादी एवं वादी आदिवक्ता
अनुपारिणत) वादी एवं वादी आदिवक्ता को
निधमातुपार तीन बार आवाजे लगाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं
वादी आदिवक्ता को अपाहृत में पुनः एक बार
आवाच लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। वादी एवं वादी आदिवक्ता के उपस्थित
नहीं आने से वादी का वाद मद्रप लावरी) अमम
पौवी में जाईव क्रिजा वाता है। निरिजे सेर
अवलास सुनाया गया। रिक्की पर्चा जारी हो।
पञ्चावली नदसल शुमार लेकर
वादील नदसल ही नणा नदसल से कम हो।


19/1/25
सहायके कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गोपीलाल पुत्र जीवा जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. श्यामलाल पिता रामा जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कमला पिता रामा जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रोशन पिता रामा जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. छाउ बाई पत्नी रामा जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. गणपत पुत्र घीसूलाल जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. महेन्द्र पिता घीसूलाल जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. छोटू पुत्र माना जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रतन पुत्र कालू जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सुखा पिता माधु जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रामचन्द्र पुत्र धन्ना जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. होकमा पुत्र धन्ना जी जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कृषि आराजियात

प्रकरण संख्या 46/2016 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल जी सेन अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 19.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

19/5/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा